



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 370 / 16-17

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुलेमान गुड़िया वो मरकुस गुड़िया वो तुरूर गुड़िया
जुलियानी बरला

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
16.11.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. सुलेमान गुड़िया पिता स्व० मसीह दास गुड़िया 2. मरकुस गुड़िया 3. तुरूर गुड़िया पिता स्व० जोहन गुड़िया ग्राम-तपकरा चुका टोली, थाना तपकरा, जिला खूँटी ने जुलियानी बरला पिता श्री मांगु तोपनो ग्राम-हुसीर, थाना तपकरा, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>तपकरा</td><td>78</td><td>32</td><td>38</td><td>0.30</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 652 दिनांक 06.11.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि की आवेदित भूमि का प्लॉट सं० 38 गलत है। आवेदित भूमि का सही प्लॉट सं० 1439 है। अतः आवेदित प्लॉट सं० 38 गलत होने के कारण जमीन बेचने की अनुशंसा अंचल अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड में)	तपकरा	78	32	38	0.30
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड में)							
तपकरा	78	32	38	0.30							